

उच्च शिक्षा ऋण योजनाएं

1. उच्च शिक्षा ऋण योजना

• लाभ

- ✓ रु. 4 लाख तक का ऋण बिना किसी जमानतदार/कॉलेटरल सिक्यूरिटी के सिर्फ पिता/माता/अभिभावक सह-ऋणी के आधार पर।
- ✓ रु. 4 से 7.50 लाख तक के ऋण बैंक को स्वीकार्य जमानतदार के आधार पर।
- ✓ रु. 7.50 लाख से अधिक के ऋण कॉलेटरल सिक्यूरिटी के आधार पर।

2. उच्च शिक्षा ऋण गारण्टी योजना

• लाभ

- ✓ प्रदेश के प्रतिभावान उच्च शिक्षा आकांक्षी जो संसाधनों के अभाव में बैंक को कॉलेटरल सिक्यूरिटी देने में असह्य के लिये राज्य शासन द्वारा ऋण गारण्टी का प्रावधान

• पात्रता

- ✓ परिवार की वार्षिक आय रु. 5 लाख तक वाले विद्यार्थी पात्र
- ✓ उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड
- ✓ उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन

3. उच्च शिक्षा ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार की ब्याज अनुदान योजना

- लाभ : शिक्षण अवधि में उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज में 50% की छूट
- पात्रता : परिवार की वार्षिक आय रु. 4.50 लाख से अधिक एवं रु.7.00 लाख तक की आय वाले विद्यार्थी

प्रदेश के प्रतिभावान विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में धनाभाव आड़े नहीं आयेगा।

उच्च शिक्षा ऋण हेतु www.dif.mp.gov.in पर ऑन-लाइन आवेदन करें, दे सपनों को उडान ।।।